रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-के.ए.-अ.-11072024-255340 CG-KA-E-11072024-255340

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] No. 506] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

केनरा बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु)

अधिसूचना

बेंगलूरु, 8 जुलाई, 2024

- सं. एचआरडब्ल्यू आईआरएस 228ए:पीएस:1065:2024 (ई), दिनांक 08.07.2024.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात: -
- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन विनियमों को केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 के खंड (एस) में, उपखंड (डी) में, निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

"इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि 1 नवम्बर, 2012 से लागू किए गए विशेष भत्ते को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा:

4147GI/2024 (1)

बशर्ते कि कोई कर्मचारी जो 1 नवंबर 2017 को बैंक की सेवाओं में था और जिसकी स्थायी वेतन वृद्धि/वृद्धियों को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः समायोजित किया गया है, वह पेंशन के प्रयोजनों के लिए 1 नवंबर, 2017 से ऐसे संशोधित स्थिर वेतन वृद्धि/वृद्धियों के लिए सैद्धांतिक रूप से पात्र होगा, लेकिन ऐसे पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

3. उक्त विनियमन के विनियमन 22 में, उप-विनियम(1) में, निम्नलिखित प्रावधान को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि किसी कर्मचारी को, जो बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक काम पर या स्थायी आधार पर अंशकालिक काम पर वेतनमान पर कार्यरत है, हटाने पर उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त नहीं होगी और वह पेंशन लाभ के लिए पात्र होगा।"

- 4. उक्त विनियमन के विनियम 36 में, खंड (एफ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "g) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में तीन हजार नौ सौ अस्सी रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और 1/3 वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, ½ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में दो हजार रुपये प्रति माह और ¾ वेतनमान प्राप्त करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में तीन हजार रुपये प्रति माह, जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो।
- 5. उक्त विनियमन के विनियमन 40 में,
 - (a) उप-विनियम (1) में
 - (i) खंड (ख) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "बशर्ते कि पुत्र/पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सिहत) को देय पारिवारिक पेंशन तब बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र पुत्र/पुत्री सरकारी/निजी क्षेत्र/स्वरोजगार आदि में रोजगार से 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर दे:";
 - (ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ग) माता-पिता के मामले में पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की सरकारी/निजी क्षेत्र/स्व-रोजगार से कुल आय 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक है:";
 - (b) उप-विनियम (4) में,
 - (i) खंड (क) में, उपखंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(vii) 1 नवम्बर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों के संबंध में केवल छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपए प्रति माह:
 - "बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी हो जाएंगे और सभी उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) और खंड (ख) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।"
 - (ii) खंड (ख) में, उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(vii) 1 नवम्बर, 2017 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों के संबंध में केवल छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपए प्रति माह।
 - "बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और उपर्युक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (क) के उप-खंड (i) और खंड (ख) के उप-खंड (i) या विनियमन 39 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी या, जैसा भी मामला हो";
 - (iii) खंड (ग) में, उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(vii) उन कर्मचारियों, अधिकारियों और कामगारों दोनों के संबंध में तेरह हजार दो सौ अस्सी, जो 1 नवंबर,

2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई।"

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी हो जाएंगे और सभी उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियमन 39 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

- 6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-II में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - ""(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद किन्तु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 2836 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

यह भी प्रावधान है कि 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 6352 अंकों से ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए महंगाई राहत देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

- 7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट-III में, खंड (के) के पश्चात, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(g) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रति माह	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
15,880 रुपये तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा तथा भत्ते का अतिरिक्त 30 प्रतिशत जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 3985 रुपये प्रति माह होगा।
15,881 रुपये से 31,760 रुपये तक	वेतन का 20 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा तथा भत्ते का अतिरिक्त 20 प्रतिशत जो भविष्य निधि में अंशदान के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा:

, ,		बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 4900 रुपये प्रति माह होगा।
अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा:	•	भविष्य निधि में योगदान करने के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगा: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का योग न्यूनतम 6365 रुपये प्रति माह और

(h) 1 अप्रैल 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी हो जाएंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कर्मचारियों (अधिकारियों और कामगारों दोनों) के संबंध में, 'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल पारिवारिक पेंशन होगा और भत्ते का 30 प्रतिशत जो भविष्य निधि में योगदान करने के लिए गिना जाता है, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी।

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों को पूर्वव्यापी रूप से प्रभाव में लाया गया है, ये इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंकिंग संघ और बैंकों के स्तरीय कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ के बीच समझौते और हस्ताक्षरित संयुक्त नोट के नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डी. सुरेन्द्रन, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./273/2024-25]

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या IRS/PEN/2879/URH दिनांक 29 सितंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या HRW IRS 228A PS 886 2023 दिनांक 24 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

CANARA BANK

(Human Resources Department)

(HEAD OFFICE, BENGALURU)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 8th July, 2024

No. HRW IRS 228A:PS:1065:2024 (E) dated 08.07.2024—In exercise of the powers conferred by Clause (f) of Sub-Section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

- 1. Short title and commencement ----(1) These regulations may be called the Canara Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Canara Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely:

"Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided further that an employee who was in the services of the Bank as on 1st November 2017 and whose stagnation increment/s has been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increment/s with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later".

3. In Regulation 22 of the said Regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on

full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits."

4. In Regulation 36 of the said Regulations, after Clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"g) rupees three thousand nine hundred and eighty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017 and rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017".

- 5. In Regulation 40 of the said Regulations,
 - (a) In Sub-regulation (1)
 - (i) In clause (b), the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided the family pension payable to sons/daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued/not admissible when the eligible son/daughter starts earning a sum in excess of Rs. 12,000 per month from employment in Government/private sector/self–employment etc:";

(ii) For clause (c), the following clause shall be substituted namely:-

"(c) in the case of parents the family pension shall be discontinued/not admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government/ Private sector / self – employment, exceeds Rs. 12,000 per month:";

- (b) in Sub-regulation (4), -
 - (i) in clause (a), after Sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:-

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of Regulation 39.";

(ii) in Clause (b), after Sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:-

"(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017.

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of said sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39 or sub-regulation (1) of regulation 39 or, as the case may be";

(iii) in Clause (c), after Sub-clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vii) Thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017."

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39".

- 6. In Appendix-II to the said regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:-
 - "(4) In respect of employees who retired on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 percent of basic pension.

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 percent of basic pension.

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 percent of basic pension.

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 percent of basic pension".

7. In Appendix-III of the said Regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted namely:-

"(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:—

Scale of pay per month	Amount of monthly Family Pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 percent of the pay shall be the basic family pension and additional 30 percent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 percent of the pay shall be basic family pension and additional 20 percent of allowance which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 percent of the pay shall be the basic family pension and additional 15 percent of allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month."

(h) On and from the 1st day of April 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers & workmen) mentioned in the said clauses, 30 percent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 percent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension."

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and Apex Level Workmen Unions and Officers' Associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

D. SURENDREN, Chief General Manager [ADVT.-III/4/Exty./273/2024-25]

SRIVASTAVA Date: 20

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, section 4 vide notification number IRS/PEN/2879/URH dated the 29th September, 1995 and lastly amended, vide the notification No.HRW IRS 228A PS 886 2023 dated the 24th July, 2023.